(3)

पत्रांक–7ए / नीति०नि०–07–06 / 2011 का०– 1607

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

एस० के० चौधरी,
मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त एवं
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः– 20/02/2013

विषयः– राज्यकर्मियों की प्रोन्नति प्रक्रिया का सरलीकरण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–3804 दिनांक–08.07.2011 का कृपया सन्दर्भ किया जाय, जिसकी कंडिका–2(ग) में यह प्रावधानित है कि "लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1)(क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के०वी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबंद लिफाफा का मामला माना जायेगा, अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर पड़ेगा"।

विधि विभाग के परामर्शानुसार "लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1)(क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस मात्र प्रारंभिक जाँच है तथा भारत संघ बनाम के०वी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय में निदेशित मुहरबन्द लिफाफा की प्रक्रिया से यह आच्छादित नहीं है"।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–3804 दिनांक–08.07.2011 की कंडिका–2(ग) के उपर्युक्त अंश को विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त पत्र के शेष अंश यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन
19.2.2013
(एस० के० चौधरी)
मुख्य सचिव